संख्या-65/2022/1141/26-3-2022

प्रेषक

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 03 जून 2022

विषयः **मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् थारू एवं अन्य जनजाति के छात्र/छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2022-23 में छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-50/ज0जा0वि0/पूर्वदशम कक्षा 1-8/2022-23, दिनांक-25.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2022-23 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् थारू एवं अन्य जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2022-23 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत पूर्वदशम कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् थारू एवं अन्य जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु निम्नानुसार समय-सारिणी निर्गत की जाती हैः-

क्रम सं0	**प्रक्रियात्मक कार्यवाही**	**कार्यवाही हेतु समयावधि**
1	2	3
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों का मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना तथा समस्त अभिलेख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) को जमा करना।	01,जून, 2022 से 30,जून,2022 तक
2	सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा समस्त विद्यालयों में स्वीकृत सीटो की संख्या को शत प्रतिशत सत्यापित करते हुये अभिलेख जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के कार्यालय को प्रेषित करना।	15,जून, 2022 से 14,जुलाई,2022 तक
3	विद्यालय स्तर पर नामित नोडल अध्यापक द्वारा आवेदन पत्र की हार्ड कापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण (जाति,आय प्रमाण पत्र का क्रंमाक आदि प्रपत्र) का विद्यालय द्वारा मूल अभिलेखों से मिलान किये जाने के उपरान्त अभिलेख विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) को जमा किया जाना।	15,जुलाई 2022 से 25,अगस्त,2022 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों का मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम दिये गये आवेदन व अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) द्वारा मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचना भरकर/अपलोड कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	16,जुलाई 2022 से 30,जुलाई,2022 तक
5	प्रधानाचार्य के माध्यम से प्राप्त छात्रों के आवेदन पत्र एवं अभिलेखों के आधार पर छात्रों के आवेदन पत्रों की आन-लाईन फिडिंग जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) द्वारा कराया जाना।	16,जुलाई 2022 से 30,अगस्त,2022 तक
6	PFMS साफटवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओ पर परीक्षण किया जाना।	30,अगस्त,2022 से 20,सितम्बर,2022 तक
7	सन्देहास्पद डाटा को जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) द्वारा निरस्त अथवा वेरीफाई किया जाना।	01,सितम्बर,2022 से 23,सितम्बर,2022 तक
8	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्व डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से शुद्व एवं स्वीकृत डाटा को लाक किया जाना।	02,सितम्बर,2022 से 26,सितम्बर,2022 तक
9	सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के डिजिटल हस्ताक्षर से लाक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य ईकाइ से मांग सृजित करना।	27,सितम्बर,2022 तक
10	सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्व एवं स्वीकृत लाक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेन्ट के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	02,अक्टूबर,2022 तक

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानां के अनुसार शैक्षिक सत्र 2022-23 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत पूर्वदशम कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् थारू एवं अन्य जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

पृ0सं0-65/2022/1141 (1)/26-3-2022 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्यमंत्री घोषणा प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री कार्यालय उ0प्र0 शासन।
2- समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, जनजाति विकास, लखनऊ।
3- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत पूर्वदशम कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् थारू एवं अन्य जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में स्कॉलरशिप पोर्टल पर यथावश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

7- समस्त सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, जनजाति विकास विभाग, लखनऊ।

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।